न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/54/20	02–09–2020	18–11–2020

01. श्रीमती बत्तो देवी पत्नी राजेश कुमार जाति गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बधेरी कलां 1/3 भाग पॉस मशीन सं0 30913 ग्राम पंचायत बधेरी कलां तहसील किशनगढ बास जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पौडेण्ट

01.जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 24–08–2020 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1903/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 24–08–2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1903/2018 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 11.6.20 को निलम्बित किया है। निलम्बित आदेश के पश्चात् अपीलान्ट के विरूद्व कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.7.20 जारी किया गया जिसका जबाव अपीलान्ट ने दिनांक 17.8.20 को जिला रसद अधिकारी के यहां पेश किया गया, जिस जवाब से संतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 17.8.20 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए आदेश क्रमांक 28993 दिनांक 17.8.20 जारी किऐ गये थे। अपीलान्ट ने अपनी उचित मूल्य दुकान का विधिवत प्रारम्भ की जाकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया। दिनांक 17.8.20 के पश्चात् अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं हुई उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र एकतरफा में विधि विरूद्व तरीक पर बिना वजह दिनांक 24.8.20 को अपीलीय आदेश पारित कर निरस्त किया गया है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की बावत दिनांक 17.8.20 के पश्चात् ना तो कोई जांच

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

कार्यवाही की गई और ना ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई व साक्षय का मौका दिया गया। अपीलान्ट की दुकान की जांच रिपोर्ट में यह दर्ज है कि दौराने जांच चिरंजीलाल उप सरपंच व सुरेश कुमार सरपंच आदि उपस्थित थे जिन्होने अपने बयान दिये कि डीलर की वितरण व्यवस्था से हम सतुष्ट है। शिकायतकर्ता निहाल सिंह, रामप्रसाद, कृष्ण कुमार, श्याम सुन्दर जो कि एक ही परिवार के व्यक्ति है। रामप्रसाद ने माह जनवरी 20 में ग्राम पंचायत बधेरी कलां के सरपंच पद का चुनाव लडा था चुनाव में पराजित हो गया था। अपीलान्ट के परिवार में से सुरेश कुमार सरपंच पर का चुनाव जीता था, कृष्ण कुमार जो सरकारी कर्मचारी है जीएसएस बधेरीकलां का सचिव है। उसने भी अपना नाम खाघ सुरक्षा की लिस्ट में दर्ज कराया हुआ है। जो खाघ सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आते है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलीय निर्णय दिनांक 24.8.20 में जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.20 का वर्णन किया जाकर निर्णय का आधार बनाया है। अपीलान्ट के विरूद्व कभी कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं रहा है कि अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकें। अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेशनिलम्बितफरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम 2013 के आदेशों की स्पष्ट उल्लधंन किये जाने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। जांच दल प्रवर्तन निरीक्षको द्वारा सयुक्त रूप ने सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश हुआ नकल अपीलान्ट वकील को दिलाई गई

बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र के प्रार्थी का हक हकूक प्रतीत नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट के विरूद्व कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.7.20 जारी किया गया जिसका जबाव अपीलान्ट ने दिनांक 17.8.20 को जिला रसद अधिकारी के यहां पेश किया गया, जिस जवाब से संतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 17.8.20 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए आदेश क्रमांक 28993 दिनांक 17.8.20 जारी किऐ गये थे। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी अपीलान्ट के द्वारा प्राधिकार पत्र शर्तो का स्पष्ट उल्लंधन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है। तहत अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं होने एवं जांच में सहयोग न करने तथा वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया, कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रकट किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त में ऐसा नही है, कि अपीलान्ट जांच के दौरान जांच हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध कराने उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में अनियमितता करना में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.08.20 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11–08–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)
जिला कलक्टर, अलवर